विज्ञप्ति

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि शासनादेश संख्या – 1/ 1092245 / 2025 / 3313 / 58 – 1 – 2025 (1917687) दिनांक 17 सितम्बर, 2025 मे वर्णित व्यवस्था के अनुसार जनपद सिद्धार्थनगर के अन्तर्गत संचालित बाल विकास परियोजना, जोगिया, डुमरियागज, नौगढ, शहर (नगर पालिका परिसद सिद्धार्थनगर) बांसी, शोहरतगढ, उसका बाजार में आंगनबाडी कार्यकत्री के रिक्त पदो पर चयन हेतु विभागीय वेवसाइट https://upanganwadibharti.in पर पात्र महिला अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन–पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। रिक्त पदो का विकास खण्ड/ परियोजनावार विवरण निम्नवत है:–

क्र.स.	परियोजना का नाम	रिक्त पदो का नाम	कुल रिक्त पदों की संख्या	रिक्त पदों की श्रेणी				कुल योग (कॉलम 5+6+7+8)
				अनारक्षित	पिछड़ी जाति	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जन जाति	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	जोगिया	आंगनबाडी कार्यकत्री	01	0	01	0	0	1
2	डुमरियागंज	आंगनबाडी कार्यकत्री	04	0	04	0	0	4
3	नौगढ	आंगनबाडी कार्यकत्री	04	04	0	0	0	4
4	शहर	आंगनबाडी कार्यकत्री	01	01	0	0	0	01
5	बांसी	आंगनबाडी कार्यकत्री	01	0	0	01	0	01
6	शोहरतगढ	आंगनबाडी कार्यकत्री	01	0	0	01	0	01
7	उसका बाजार	आंगनबाडी कार्यकत्री	01	0	0	01	0	01
योगः–			**13**	**05**	**05**	**03**	**0**	**13**

1– आंगनबाडी कार्यकत्री के पद हेतु न्यूनतम शैक्षिक योग्यता इण्टरमीडिएट या उसके समकक्ष होगी अधिकतम शैक्षिक योग्यता परास्नातक के आधार पर मेरिट तैयार होगी।

2– आंगनबाडी कार्यकत्री पद हेतु आवेदिका की न्यूनतम आयु 18 वर्ष व अधिकतम आयु 35 वर्ष होगी। दिनांक– 01.07.2025 को 18 वर्ष आयु होनी चाहिए। आयु के सम्बन्ध मे हाई स्कूल अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र मे अंकित जन्म तिथि ही मान्य होगी।

3– उसी ग्राम सभा/वार्ड (शहरी क्षेत्रों में) की निवासी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की विधवा महिला/विधिक तलाकशुदा/परित्यक्ता महिला को वरीयता दी जायेगी, गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाली विधवा/परित्यक्ता महिला के न मिलने पर गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाली महिला को वरीयता दी जायेगी।

4– विधवा हेतु ग्राम पंचायत अधिकारी/सम्बन्धित नगर निकाय द्वारा निर्गत मृत्यु प्रमाण–पत्र एवं परिवार पंजिका की प्रमाणित नकल मानय होगी। तलाकसुधा/परित्यक्ता के सम्बन्ध में मान्नीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्गत विधिक आदेश मान्य होंगे।

5– गरीबी रेखा के नीचे की विधवा/तलाकशुदा/परित्यक्ता महिलाएं न मिलने पर उसी ग्राम सभा/वार्ड (शहरी क्षेत्रो मे) की निवासी गरीबी रेखा से उपर की विधवा महिला/परित्यक्ता/तलाकशुदा महिलाए।

6– उपरोक्तानुसार अभ्यर्थी न मिलने पर उसी ग्राम सभा/वार्ड (शहरी क्षेत्रो मे) की निवासी गरीबी रेखा के उपर जीवनयापन करने वाले परिवार की महिलाए।

7– निवास एवं जाति प्रमाण–पत्र के सम्बन्ध में तहसील से आनलाईन डिजिटल हस्ताक्षर से निर्गत निवास व जाति प्रमाण–पत्र ही मान्य होगे जिनका आनलाईन सत्यापन सम्भव हो।

8– आय प्रमाण–पत्र के सम्बन्ध मे उ0प्र0 शासन के राजस्व अनुभाग–9 द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या– 3959 /1–9–11–रा0–9 दिनांक 30.09.2021 (यथा संशोधित) के कम मे सक्षम स्तर से निर्गत आय प्रमाण–पत्र ही मान्य होगें जिनका आनलाईन सत्यापन सम्भव हो।

9– आवेदन पत्र विभागीय बेवसाइटhttps://upanganwadibharti.in पर उपलब्ध फार्मेट पर ऑनलाईन व सही–सही सावधानीपूर्वक भरे जायेगें। आवेदिका द्वारा अभिलेखों की स्वहस्ताक्षरित प्रति, जो स्वच्छ व पठनीय हो, अपलोड की जायेगी, जिनका उल्लेख उनके द्वारा ऑनलाइन फार्म में किया गया होगा।

10– आनलाइन आवेदन करने की अन्तिम तिथि 24.11.2025 होगी।

11– एक से अधिक केन्द्र या पदो पर आवेदिका द्वारा किये गये आवेदन मान्य नही होगें। एक आगनबाडी केन्द्र पर एक परिवार की दो महिलाओं की नियुक्ति आगनबाडी कार्यकत्री/सहायिका पद पर नही की जाएगी।

12– रिक्त पदो का विस्तृत विवरण जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी/उप जिलाधिकारी/जिला कार्यक्रम अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी/बाल विकास परियोजना अधिकारी के नोटिस बोर्ड पर एवं विभागीय वेवसाइटhttps://upanganwadibharti.inपर देखा जा सकता है।

नोटः– रिक्तियो की संख्या घट–बढ सकती है।

(साहब यादव)
जिला कार्यक्रम अधिकारी
सिद्धार्थनगर।

कार्यालयः–जिला कार्यक्रम अधिकारी, सिद्धार्थनगर।

पत्रांक C-1383/जि0का0अधि0/चयन विज्ञप्ति/2025–26 **दिनांक** 03-11-25

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1–निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उ0प्र0, लखनऊ।
2–जिलाधिकारी महोदय, सिद्धार्थनगर।
3–मुख्य विकास अधिकारी, सिद्धार्थनगर।
4–समस्त उप जिलाधिकारी, सिद्धार्थनगर।
5–जिला सूचना विज्ञान अधिकारी (एन0आई0सी0), सिद्धार्थनगर।
6–जिला सूचना अधिकारी, सिद्धार्थनगर को इस अनुरोध के साथ कि अनिवार्यतः 02 मुख्य दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने का कष्ट करें।
7–समस्त खण्ड विकास अधिकारी, सिद्धार्थनगर को इस अनुरोध के साथ कि नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराते हुये अपने स्तर से ग्राम पंचायतों में प्रचार–प्रसार कराने का कष्ट करें।
8–समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी, सिद्धार्थनगर को इस निर्देश के साथ कि विज्ञप्ति एवं रिक्तियों का विवरण सम्बन्धित कार्यालयों को उपलब्ध कराने के साथ ही समस्त कार्यालयों के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराते हुये प्राप्ति रसीद अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें एवं सम्बन्धित समस्त ग्राम प्रधान/सभासद को विज्ञप्ति का विवरण प्रचार–प्रसार हेतु प्राप्त कराना सुनिश्चित करें।

जिला कार्यक्रम अधिकारी
सिद्धार्थनगर।